ऑन लाईन नं. GCMS 2023/234

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 85/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री किरण गर्ग पुत्र श्री भगवानदास गर्ग —विक्रेता व मालिक—
   मै. जीएस मार्ट, 58 तिलक नगर, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक: 31.01.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन करने हेतू राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 18.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक संस्था/एफएसएसए/2021/258 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर आंवटित किया गया है और श्रीगंगानगर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता दिनांक 25.10.2021 को समय सुबह 11.00 बजे को **मै जीएस मार्ट 58 तिलक नगर, श्री गंगानगर** पर पहुँचा मोके पर **श्री किरण गर्ग पुत्र श्री भगवानदास गर्ग** को अपना परिचय दे कर दुकान पर रखे **तिल तेल (इंजन ब्राण्ड)** के बारे मे जानकारी चाही इस पर विकेता ने स्वंय को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर 500–500 मिली की 10 बोतल पैक **तिल तेल (इंजन ब्राण्ड)** की आमजन के बेचान वास्ते होना बताया मुझे **तिल तेल (इंजन ब्राण्ड)** मे मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते **तिल तेल (इंजन ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दीया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **तिल तेल (इंजन ब्राण्ड)** 500 मिली की 4 पेक बोतल को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा **तिल तेल (इंजन ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 760 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री किरण गर्ग पुत्र श्री भगवानदास गर्ग** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री किरण गर्ग पुत्र श्री भगवानदास गर्ग** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **तिल तेल (इंजन ब्राण्ड)** 500 मिली की चारों मूल पेक बोतल पर लैबल तैयार कर चिपकायें और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1236** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–1236** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियतानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री किरण गर्ग पुत्र श्री भगवानदास गर्ग** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./438/Act/2021/435 Dated 15-11-2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1236 Unsafe Food** होना पाया गया। अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विकेता को खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया। विकेता द्वारा पुनः जांच हेतु आवेदन करने पर नमूना जांच हेतु रेफरल लेब, पुणे भिजवाया गया। रेफरल लैब, पूणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट कमांक RFL/P/DO/205/22/243/2022 dated 13-04-2022 के अनुसार खाद्य नमूना के–1236 Substandard Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री किरण गर्ग पुत्र श्री भगवानदास गर्ग, मैसर्स जीएस मार्ट 58 तिलक नगर, श्री गंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **तिल तेल (इंजन ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्री गंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मैसर्स जी एस मार्ट दुकान नम्बर 58 तिलक नगर श्री गंगानगर तहसील वा जिला श्री गंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 110/24 दिनांक 20–1–2025 का दिया है कि आपकी दुकान मे तिल तेल इंजन बाण्ड की जांच की गई तो तिल तेल इंजन बाण्ड substandard

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर

Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त तिल तेल इंजन ब्राण्ड मे सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स० 85/2023 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **तिल तेल (इंजन ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1236** रेफरल लैब, पूणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक RFL/P/DO/205/22/243/2022 dated 13-04-2022 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त तिल तेल इंजन ब्राण्ड मे सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Til Oil Engine brand" bearing Code No and Sr. No. K-1236, does not conforms to the standard of Til Oil as per Regulation No. 2.2.1(12) of Food safety and Standard(Food Products Standards & Food additives) Regulation 2011 & Further amendments & also Schedule No.1(No.2) of Food safety and Standard(Fortification of Food) Regulation 2018 and further amendments, on the basis of Tests performed. Hence found to be Sub-Standard as per Section 3(1)(zx) of food safety & Satndard Act 2006. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री किरण गर्ग पुत्र श्री भगवानदास गर्ग, मैसर्स जीएस मार्ट 58 तिलक नगर, श्री गंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री किरण गर्ग पुत्र श्री भगवानदास गर्ग, मैसर्स जीएस मार्ट 58 तिलक नगर, श्री गंगानगर** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा०)
श्रीगंगानगर